UPVR010072072026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–6, वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी– आलोक कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2537 / 2026

कप्तान सिंह पटेल पुत्र बाल गोविन्द
निवासी रामगढ़ कोठारी, बहरिया, प्रयागराज, उ0प्र0।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मु0अ0सं0–300 / 2026
धारा– 4,8,13(1),13(2),13(5)
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024
थाना–सिगरा, जिला वाराणसी।

30.07.2026

1. आवेदक / अभियुक्त **कप्तान सिंह पटेल** की तरफ से मु0अ0सं0–300 / 2026, अर्न्तगत धारा– 4, 8, 13(1), 13(2), 13(5) सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, थाना सिगरा, जिला वाराणसी के अपराध के अन्तर्गत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सालवर गिरोह द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन संसाधनो का प्रयोग कर परीक्षा की शुचिता भंग करते हुए संगठित रूप से नकल कराए जाने की सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ वाराणसी की विभिन्न टीमो को अभिसूचना संकलन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था, उसी क्रम में अभिसूचना संकलित की जा रही थी। दिनांक 11.07.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 12.07.2026 को आयोजित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में एक संगठित सॉल्वर गिरोह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के माध्यम से परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराकर नकल कराएगा। सूचना के आधार पर एसटीएफ की तीन टीमें गठित की गईं। दिनांक 12.07.2026 को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एंग्लो इंडियन मुस्लिम इंटर कलेज लल्लापुरा थाना सिगरा जनपद वाराणसी में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थी विपिन वर्मा जिसका अनुक्रमांक 12017077 है परीक्षा दे रहा है जिसके द्वारा इलेक्ट्रनिक कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग कर प्रयागराज में किसी सल्वर गिरोह से संपर्क कर नकल करते हुए परीक्षा दिया जाएगा। इस सूचना पर दिनांक 12.07.2026 को केंद्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट को साथ लेकर उक्त कक्षा में पहुंचकर कक्ष निरीक्षक शैलेंद कुमार व रुश्दी के समक्ष अभ्यर्थी विपिन कुमार वर्मा रोल नंबर 12017077 को पकड़ा गया जिससे अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में पूछा गया तो आनाकानी करने लगा। अभ्यर्थी की विधि के अनुसार वीडियोग्राफी कराते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने शर्ट के अंदर बनियान में कपड़े से सिला हुआ एक इलेक्ट्रनिक कम्युनिकेशन डिवाइस जो काले रंग के रबड़ से पैक है जिसके अंदर एयरटेल सिम पाया गया तथा अभ्यर्थी के दाहिने कान के अंदर एक अदद माइक्रो इयरपीस पाया गया तथा एक अदद आधार कार्ड विपिन वर्मा के नाम का बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम विपिन वर्मा पुत्र सन्तराम वर्मा बताया। बरामद इलेक्ट्रानिक डिवाइस व माइक्रो इयरपीस के सम्बन्ध में बताया कि उसने परीक्षा में नकल कराने के लिए कप्तान सिंह पटेल को मु0 5,00,000 / – दिए थे तथा परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद चन्दर नामक व्यक्ति ने उसे उक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए थे। अभियुक्त के कथन के आधार पर चन्दर को परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दो अदद मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक सिम डिवाइस, एक माइक्रो इयरपीस तथा एक चिमटी बरामद हुआ। चन्दर ने पूछताछ में बताया कि शिवजीत पटेल इस गिरोह का सरगना है जो अपने भाई कप्तान सिंह पटेल के साथ मिलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं मे अभ्यर्थियों से अवैध धन लेकर प्रश्नपत्र लीक कराकर

इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से परीक्षा में नकल कराते हैं। यह इलेक्ट्रानिक डिवाइस शिवजीत पटेल व कप्तान सिंह पटेल द्वारा ही दिया गया है। आज ही वाराणसी मे श्री हरिश्चन्द्र बालिका इन्टर कालेज मे धर्मेन्द्र कुमार इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग कर परीक्षा दे रहा है। जिसका सहयोग दीपक पटेल परीक्षा केन्द्र के बाहर से कर रहा है। इस समय शिवजीत व कप्तान सिंह उपरोक्त के अर्धनिर्मित दो मंजिला मकान मे उसके साथ साल्वर गिरोह के सदस्य क्रमशः ओम प्रकाश पटेल, राकेश कुमार पटेल, अखिलेश चन्द, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, लालता प्रसाद उर्फ गुड्डू, अनुज कुमार पाल, शिव प्रकाश पटेल, मनोज कुमार मौजूद हैं जो प्रश्न पत्र को हल कर के अभ्यर्थियो को इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से नकल करा रहे हैं। इस सूचना से निरीक्षक अनिल कुमार सिंह जो अपनी टीम के साथ जनपद प्रयागराज में मौजूद है अवगत करा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु बताया गया तथा तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उ0नि0 आलोक सिंह को बताया गया। अभ्यर्थी अभियुक्त विपिन वर्मा के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रानिक डिवाइस व माइक्रो इयरपीस को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सर्वसील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा प्रवेश पत्र, परीक्षा ओएमआर शीट क्रमांक 4900023111, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 1223023111 व एक अदद आधार कार्ड को कब्जे में लेकर लिफाफे मे रखकर सर्वसील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। अभ्यर्थी अभियुक्त विपिन वर्मा के अनुचित साधन के प्रयोग करने के सम्बन्ध मे निर्धारित प्रपत्र च–2 केन्द्र अधीक्षक से प्राप्त किया गया। अभियुक्त चन्दर के कब्जे से बरामद दो अदद मोबाइल, इलेक्ट्रानिक डिवाइस व माइक्रो इयरपीस को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सर्वसील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। इसी दौरान निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने जरिये दूरभाष जनपद प्रयागराज मे गिरफ्तार व मौके से फरार अभियुक्तों के सम्बन्ध मे बताया कि सल्वर गिरोह के 9 सदस्य मौके पर पकड़ लिये गये हैं, तथा गिरोह का सरगना शिवजीत पटेल पुत्र बाल गोविन्द अपना मोबाइल छोड़कर फरार हो गया है। पूछताछ में पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया है कि उपरोक्त परीक्षा का प्रश्नपत्र राजेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र पुत्र लल्लन यादव जनपद वाराणसी किसी परीक्षा केन्द से लीक कराकर इस गिरोह को उपलब्ध कराया है, जिसका मो0नं0 8736050981 है जो अभी बन्द है। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 13.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।

3. फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.07.2026 को समय 02.24 बजे अभियुक्तगण विपिन वर्मा, चन्दर, ओम प्रकाश पटेल, राकेश कुमार पटेल, अखिलेश चन्द, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, लालता प्रसाद उर्फ गुड्डू, अनुज कुमार पाल, शिव प्रकाश पटेल, मनोज कुमार, **कप्तान सिंह पटेल** व शिवजीत पटेल के विरूद्ध अपराध संख्या 300/2026 अन्तर्गत धारा 4, 8, 13(1), 13(2), 13(3) उ0प्र0 सार्वजनकि परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियोग में धारा 13(3) उ0प्र0 सार्वजनकि परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, का अपराध नहीं पाया गया तथा धारा 13(5) उ0प्र0 सार्वजनकि परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम का अपराध पाया गया। प्रकरण में धारा 4, 8, 13(1), 13(2), 13(5) उ0प्र0 सार्वजनकि परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 में विवेचना की जा रही है।

4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत का आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी के साथ आपराधिक अभित्रास नहीं किया है। वह बिल्कुल निर्दोष है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना है। इसके पूर्व कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य समकक्ष न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया है और न ही विचाराधीन है या निस्तारित हुआ है। उसका नाम प्रश्नगत प्रकरण में सह–अभियुक्तगणों के बयान के आधार पर लाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका कोई स्पष्ट रोल नहीं है। उसका नाम फर्द बरामदगी में सुनी सुनायी बातों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। उसको किसी परीक्षार्थी का पेपर साल्व कराते हुए पकड़े जाने का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। उसने किसी से भी कोई पॉच लाख रुपये नहीं लिया था। वादी मुकदमा द्वारा फर्जी व मनगढन्त कहानी को अधार बनाकर प्रथम सूचना

रिपोर्ट में उसको नामजद किया है। कथित गिरफ्तारी के समय भी उसको किसी परीक्षार्थी को अवैध मदद पहुंचाने का कोई साक्ष्य नहीं है तथा उसके पास से कोई बरामदगी किसी किस्म की नहीं हुई है। उसका घटना में सम्मिलित होने का कोई फारेंसिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। कथित गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट पेटीशन सं0 35 सन् 2026 उमंग रस्तोगी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व तीन अन्य में पारित दिशा निर्देश का कोई अनुपालन किसी किस्म का नहीं किया गया है। दिनाक–13.07.2026 से वह कारागार वाराणसी में निरुद्ध है। प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित परीक्षा अथवा परीक्षण प्रणाली से उसके संबंध होने का कोई प्रमाण किसी किस्म का मौजूद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उस पर अधिरोपित किसी धारा का कोई अवयव उपलब्ध नहीं है। बाद जमानत उसके पलायन हो जाने अथवा साक्ष्य व साक्षियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने की कोई संभावना किसी किस्म का नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि अभियुक्त कप्तान सिंह पटेल पर आरोप है कि वह अपने भाई शिवजीत पटेल के साथ एक संगठित सॉल्वर गिरोह का सदस्य/संचालक था, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से अवैध धन लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल कराता था। अभियोजन के अनुसार सह–अभियुक्त विपिन वर्मा ने नकल कराने के लिए उसे मु0 5,00,000 देने की बात कही तथा सह–अभियुक्त चन्दर ने भी पूछताछ में आवेदक/अभियुक्त को अपने भाई शिवजीत पटेल के साथ संगठित सॉल्वर गिरोह का सक्रिय सदस्य बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों से नकल कराने में संलिप्त होना बताया है। यह भी बताया कि बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कप्तान सिंह और शिवजीत पटेल द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए थे। अभियोजन के अनुसार गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी भी विवेचना में प्रकाश में आई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह मामला एक संगठित एवं सुनियोजित अपराध का होना प्रतीत होता है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई तथा उसका नाम केवल सह–अभियुक्तों के कथनों के आधार पर आया है। इस तथ्य का निर्धारण इस स्तर पर नही किया जा सकता, यह साक्ष्य का विषय है। अभियुक्त दोषी है अथवा निर्दोष इसका निर्धारण विचारण उपरान्त ही किया जा सकता है।

8. वर्तमान प्रकरण सार्वजनिक परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले गंभीर एवं संगठित अपराध से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं का निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन प्रत्येक परीक्षार्थी के मन में यह विश्वास उत्पन्न करता है कि उसकी सफलता अथवा असफलता केवल उसकी योग्यता, परिश्रम एवं प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। इसके विपरीत यदि संगठित गिरोहों द्वारा अनुचित साधनों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर अपात्र अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुँचाया जाता है, तो इससे न केवल वास्तविक एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिससे प्रतियोगी परीक्षार्थी के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों का प्रयोग वस्तुतः प्रतिभा का हनन है। परीक्षा का यही उद्देश्य है कि योग्यतम् व्यक्ति को ही सेवा का अवसर प्रदान किया जाये। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में यह भाव अवश्य रहना चाहिए कि यदि वह परीक्षा में उच्चतर प्रदर्शन करता है तो वह प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम प्राप्त करेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव तत्समय समाप्त हो जाता है जब परीक्षार्थी के मन में यह

विचार आता है कि परीक्षा प्रणाली में असमाजिक तत्वों का प्रभाव है और वह अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेगा तो वह न केवल हतास होता है बल्कि पूरे सिस्टम के प्रति उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप एवं अनुचित साधनों का प्रयोग गम्भीरतम् अपराध की कोटि में आता है। यदि ऐसे अपराधों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा गया तो ऐसी उदारता समाज में अराजकता को जन्म देगी।

9. ऐसे में इस प्रकार का किया गया कृत्य मामले को और गम्भीर बनाता है। आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, विवेचना में संकलित सामग्री, सह–अभियुक्तों के कथनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी तथा समाज पर ऐसे अपराधों के व्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता।

10. अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष को प्रभावित किये बगैर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **कप्तान सिंह पटेल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 30.07.2026

(आलोक कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–6, वाराणसी।
J.O.Code No. UP1648

Steno- Md. Ashraf